संख्या– 8/1/ 2024–25–उ0 वर्क्स/1465 — 1469

भारत सरकार
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आगरा मण्डल, 22 मॉल रोड़
आगरा–282001

12 NOV 2024

दिनांकः.........................

:– नीलामी सूचना –:

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ताजमहल, उद्यान आगरा में 141पेड़ों पर लगे आँवले की नीलामी बर्ष 2024–25 एक समय की अवधि के लिए की जायेगी। जिसका विवरण निम्न है।

क्र0सं0	उद्यान का नाम	नीलामी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय (मुहर बन्द लिफाफा के माध्यम से)	नीलामी का स्थान	धरोहर राशि	निर्धारित न्यूनतम आरक्षित धनराशि
1.	ताजमहल उधान, आगरा।	141 नं0 पेड़ों पर लगे आँवले की नीलामी।	**21.11.2024 अपरान्हः 3.00 बजे दिन–गुरुवार**	कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद,भा.पु.सर्वे. आगरा मण्डल, 22 मॉल रोड़, आगरा	1100/–	45000/–

नियम व शर्ते :–

1. नीलामी की बोली विभाग द्वारा **निर्धारित न्यूनतम आरक्षित रकम** (Minimum Reserve Price) से आरम्भ होगी।
2. नीलामी बोलीदाता को नीलामी का मुहर बंद लिफाफा एवं धरोहर धनराशि जो ऊपर दर्शायी गयी है, के साथ इस नीलामी सूचना के साथ संलग्न प्रोफार्मा में भर कर, ऊपर दर्शाये गये नीलामी स्थान पर **दिनॉक 21.11. 2024 को अपरान्ह 03.00 बजे** तक डिमांड ड्राफ़्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक के नामित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए जो कि अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा के पक्ष में आगरा में देय होगा
3. नीलामी में सफल क्रेता को सभी करों का भुगतान करना होगा।
4. प्रत्येक नीलामीदाता अग्रिम धनराषि जो ऊपर दर्शाई गई है, जमा करनी होगी जो सर्वोच्च बोलीदाता को छोड़कर शेष की नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी। नीलामी, सर्वोच्च नीलामी धनरासि अंकित करने वाले नीलामीदाता को अधीक्षण पुरातत्वविद् की स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।
5. सर्वोच्च नीलामी दाता को अपनी नीलामी की सम्पूर्ण धनराषि का डी0डी0 के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया अनुमोदन के पश्चात् तीन दिन या विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर जमा करनी होगी। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक के नामित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए जो कि **अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा** के पक्ष में आगरा में देय होगा। डी0डी0 जमा करने के पश्चात् उनकी धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। यदि सम्पूर्ण धनराशि जमा करने में असमर्थ रहे तो उनकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में जो भी सरकार की क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
6. यदि ठेकेदार नीलामी शर्तो की अवेहलना करता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी समय नीलामी को निरस्त कर सकता है।
7. अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत बिना किसी कारण बताये कर सकता है, अधीक्षण पुरातत्वविद् का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
8. विभाग को यह अधिकार होगा कि उद्यान के रखरखाव हेतु एवं विभागीय कार्य हेतु किसी भी भाग में खुदाई अथवा घास की छिलाई कराई जा सकती है।
9. सर्वोच्च बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो जाने पर नियमों के पालन हेतु विभाग द्वारा जारी नियम एवं शर्ते प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।
10. नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को अग्रिम धनराषि जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
11. आँवले की निलामी केवल निर्धारित पेड़ों से ही की जायेगी।
12. ठेकेदार आँवले को तोड़कर तुरंत उठानी होगी ताकि उद्यान साफ सुथरा रह सके।
13. ठेकेदार को उद्यान के अन्दर किसी भी प्रकार का वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. उद्यान में घास की सिचाई व्यवस्था आवश्यकता अनुसार समय समय पर दी जायेगी।
15. ठेकेदार को उद्यान में निवास करने एवं पशु रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

16. ठेकेदार को उद्यान के कार्य समय में ही आँवले को ले जा सकेगें तथा उद्यान में आँवले को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी।
17. ठेकेदार को ठेका किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित अथवा आवंटन करने का अधिकार नहीं है।
18. उद्यान के रखरखाव एवं सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए आँवले को इधर–उधर इकट्ठा नहीं की जायेगी।
19. नीलामी मे भाग लेने वाले सभी नीलामीदाताओं से पहचान–पत्र, आधार कार्ड एवं पते के प्रमाण पत्र की छायाप्रति को संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा नीलामी प्रकिया निरस्त कर दी जायेगी।
20. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली नीलामी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

अधीक्षण पुरातत्वविद।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, आगरा।
2. संरक्षण सहायक, उप मण्डल, ताज महल, आगरा को सूचनार्थ।
3. उद्यान प्रभारी, उधान, ताज महल, आगरा को सूचनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड मण्डल कार्यालय, आगरा।
5. बेबसाइट,मण्डल कार्यालय, आगरा।

अधीक्षण पुरातत्वविद।